

	<p style="text-align: center;">बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 अन्तर्गत सतत लीज अभिलेख संख्या वर्ष बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, बिहार, पटना (स्थानीय कार्यालय.....)</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश फलक</u></p>	
दिनांक.....	<p>बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना के पत्रांकदिनांक..... द्वारा 132/33 के0 भी0/ ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतुस्थान के लिए एकड़ रैयती भूमि, बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के प्रावधान के आलोक में ग्राम के सम्बन्धित रैयतों से सतत लीज निष्पादन के आलोक में प्राप्त किया जाना है।</p> <p>अतः स्थान अंचल में एकड़/डिसमिल रैयती भूमि के चयन के लिए चयन समिति जो बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5 (ख) के आलोक में श्री के नेतृत्व में विभागीय आदेश ज्ञापांक दिनांक..... द्वारा गठित है के समक्ष उपस्थापित किया जाय तथा चयन समिति से अनुरोध किया जाय कि स्थल चयन प्रतिवेदन यथाशीघ्र/..... दिनों के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।..... स्थान अंचल में 132/33 के0 भी0/ ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतु स्थल चयन समिति का प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ पत्रांक दिनांक के द्वारा प्राप्त हुआ है। स्थल चयन समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है प्रश्नगत मौजा थाना नम्बर अंचल जिला की रैयती जमीन खाता नं0..... खेसरा नं0..... रकबा..... किस्म ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है। परियोजना में पड़ने वाले रैयतों की भूमि का विवरण यथा खाता नं0..... खेसरा नम्बर, रकबा, किस्म तथा नक्शा तैयार कर कर्नीय अभियन्ता द्वारा समर्पित किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः स्थल चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में स्थान में KV के ग्रिड सब स्टेशन / के निर्माण हेतु कुल एकड़ रैयती भूमि ग्राम थाना नंबर के सम्बन्धित रैयतों यथा श्री सम्बन्धित वगैरह जिसकी रैयती जमीन अधियाचित लीज भूमि के रकबा के अन्तर्गत है के उपयुक्तता स्थानीय जाँच तथा सहमति प्राप्त करने के बिन्दु पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5(ख) के आलोक में सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा लीज नीति की कंडिका 5(घ) के आलोक में प्रस्तावित लीज की भूमि की जाँच के लिए तथा सम्बन्धित रैयतों की सहमति प्राप्त करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा गठित टीम अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना के साथ पंजीकृत लीज विलेख निष्पादन किये जाने सम्बन्धी रैयतों की सहमति प्राप्त करने हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5 (ख) के आलोक में ग्राम में दिनांक को बजे में एक बैठक</p>	

	<p>हेतु सूचना निर्गत करें तथा स्थानीय समाचार पत्र में उक्त सूचना को प्रकाशित करें।</p> <p>दिनांक को अभिलेख उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। दिनांक को ग्राम..... में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सतत लीज पर जमीन उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त करने के बिन्दु पर राजस्व ग्राम थाना नं0..... के रैयतों यथा वगैरह के साथ स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों यथा के साथ दिनांक को 10 बजे पूर्वाहन/अपराह्न में बैठक हुई। इस बैठक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के साथ एकड़ भूमि को सतत लीज पर नियमानुसार उचित राशि भुगतान के शर्त पर सहमति देते हुए सभी (सम्बन्धित रैयतों) द्वारा उनसे सम्बन्धित रकबा की विवरणी का सहमति पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया जो अभिलेख के साथ संलग्न है। चूँकि सभी रैयतों द्वारा अपनी जमीन सतत लीज पर उपलब्ध कराने के बिंदु पर सहमति पत्र दिया जा चुका है अतः प्रश्नगत जमीन का (MVR) मूल्यांकन का ब्यौरा जिला पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से प्राप्त की जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। सतत लीज पर प्राप्त किये जाने वाले विशयांकित जमीन का M.V.R. (मूल्यांकन) जिला पदाधिकारी के पत्रांक दिनांक द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के संकल्प के कंडिका 3 (ड) के आलोक में प्राप्त हुआ है। इस M.V.R. प्रतिवेदन के आधार पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के प्रावधानों के आलोक में मौजा थाना नं0..... अंचल के खाता नं0 खेसरा नं0..... रकबा चौहड़ी जो रैयत श्री पिता की खतियानी/जमाबंदी नम्बर की जमीन है/पंजीकृत केवाला/अन्य कारणों के आधार पर प्राप्त है जिसका किस्म वर्तमान में है। उपलब्ध कराए गए M.V.R. से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत जमीन जो किस्म जमीन है तदनुसार उसका मूल्यांकन रूपये होता है जो बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के संकल्प की कंडिका 3 (ड) के निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा रूपये निर्धारित है। अतः सतत लीज पर प्राप्त की जानेवाली भूमि एकड़ की मूल्यांकित राशि रूपये के भुगतान की स्वीकृति तथा आवंटन की माँग सक्षम प्राधिकार से की जाय। ग्राम..... थाना नं0..... के कुल रैयतों कमांक से तक द्वारा सतत लीज नीति के अन्तर्गत निर्धारित राशि के भुगतान के भार्त पर अपने जमीन का विहित ब्यौरा अंकित कर सहमति पत्र समर्पित किया गया है जिसे जिला पदाधिकारी /भू-अर्जन पदाधिकारी के पास भेजते हुए अनुरोध किया जाय कि भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन खतियान/जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व कागजातों के आधार संबन्धित राजस्व अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>

	<p style="text-align: center;">बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 अन्तर्गत सतत् लीज अभिलेख संख्या.....वर्ष..... बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, बिहार, पटना (स्थानीय कार्यालय.....)</p> <p style="text-align: center;">आदेश फलक</p>	
दिनांक.....	<p>बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना के पत्रांकदिनांक.....द्वारा 132/33 के0 भी0/.....ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतुस्थान के लिएएकड़ रैयती भूमि, बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के प्रावधान के आलोक मेंग्राम के सम्बन्धित रैयतों से सतत् लीज निष्पादन के आलोक में प्राप्त किया जाना है।</p> <p>अतःस्थानअंचलमेंएकड़/डिसमिल रैयती भूमि के चयन के लिए चयन समिति जो बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5 (ख) के आलोक में श्रीके नेतृत्व में विभागीय आदेश ज्ञापांकदिनांक.....द्वारा गठित है के समक्ष उपस्थापित किया जाय तथा चयन समिति से अनुरोध किया जाय कि स्थल चयन प्रतिवेदन यथाशीघ्र/.....दिनों के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।</p> <p>अभिलेख दिनांकको उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।.....स्थानअंचल में 132/33 के0 भी0/.....ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु स्थल चयन समिति का प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ पत्रांकदिनांकके द्वारा प्राप्त हुआ है। स्थल चयन समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है प्रश्नगत मौजाथाना नम्बरअंचलजिलाकी रैयती जमीन खाता नं0.....खेसरा नं0.....रकबाकिस्मग्रीड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है। परियोजना में पड़ने वाले रैयतों की भूमि का विवरण यथा खाता नं0....., खेसरा नम्बर, रकबा, किस्म तथा नक्शा तैयार कर कर्नीय अभियन्ता द्वारा समर्पित किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः स्थल चयन समिति के अनुशंसा के आलोक मेंस्थान मेंKV के ग्रीड सब स्टेशन/के निर्माण हेतु कुलएकड़ रैयती भूमि ग्रामथाना नंबरके सम्बन्धित रैयतों यथा श्रीसम्बन्धित वगैरह जिसकी रैयती जमीन अधियाचित लीज भूमि के रकबा के अन्तर्गत है के उपयुक्तता स्थानीय जाँच तथा सहमति प्राप्त करने के बिन्दु पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5(ख) के आलोक में सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारीसे अनुरोध किया जाय।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। जिला पदाधिकारीद्वारा लीज नीति की कंडिका 5(घ) के आलोक में प्रस्तावित लीज की भूमि की जाँच के लिए तथा सम्बन्धित रैयतों की सहमति प्राप्त करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा गठित टीम अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना के साथ पंजीकृत लीज विलेख निष्पादन किये जाने सम्बन्धी रैयतों की सहमति प्राप्त करने हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के कंडिका 5 (ख) के आलोक में ग्राममें दिनांककोबजेमें एक बैठक</p>	

	<p>हेतु सूचना निर्गत करें तथा स्थानीय समाचार पत्र में उक्त सूचना को प्रकाशित करें।</p> <p>दिनांक को अभिलेख उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। दिनांक को ग्राम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सतत लीज पर जमीन उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त करने के बिन्दु पर राजस्व ग्राम थाना नं0..... के रैयतों यथा वगैरह के साथ स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों यथा के साथ दिनांक को 10 बजे पूर्वाहन/अपराह्न में बैठक हुई। इस बैठक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के साथ एकड़ भूमि को सतत लीज पर नियमानुसार उचित राशि भुगतान के शर्त पर सहमति देते हुए सभी (सम्बन्धित रैयतों) द्वारा उनसे सम्बन्धित रकबा की विवरणी का सहमति पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया जो अभिलेख के साथ संलग्न है। चूँकि सभी रैयतों द्वारा अपनी जमीन सतत लीज पर उपलब्ध कराने के बिन्दु पर सहमति पत्र दिया जा चुका है अतः प्रश्नगत जमीन का (MVR) मूल्यांकन का ब्यौरा जिला पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से प्राप्त की जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। सतत लीज पर प्राप्त किये जाने वाले विश्यांकित जमीन का M.V.R. (मूल्यांकन) जिला पदाधिकारी के पत्रांक दिनांक द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के संकल्प के कंडिका 3 (ड) के आलोक में प्राप्त हुआ है। इस M.V.R. प्रतिवेदन के आधार पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के प्रावधानों के आलोक में मौजा थाना नं0..... अंचल के खाता नं0 खेसरा नं0..... रकबा चौहांदी जो रैयत श्री पिता की खतियानी/जमाबंदी नम्बर की जमीन है/पंजीकृत केवाला/अन्य कारणों के आधार पर प्राप्त है जिसका किस्म वर्तमान में है। उपलब्ध कराए गए M.V.R. से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत जमीन जो किस्म जमीन है तदनुसार उसका मूल्यांकन रूपये होता है जो बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के संकल्प की कंडिका 3 (ड) के निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा रूपये निर्धारित है। अतः सतत लीज पर प्राप्त की जानेवाली भूमि एकड़ की मूल्यांकित राशि रूपये के भुगतान की स्वीकृति तथा आवंटन की माँग सक्षम प्राधिकार से की जाय। ग्राम थाना नं0..... के कुल रैयतों कमांक से तक द्वारा सतत लीज नीति के अन्तर्गत निर्धारित राशि के भुगतान के भार्ता पर अपने जमीन का विहित ब्यौरा अंकित कर सहमति पत्र समर्पित किया गया है जिसे जिला पदाधिकारी /भू-अर्जन पदाधिकारी के पास भेजते हुए अनुरोध किया जाय कि भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन खतियान/जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व कागजातों के आधार संबन्धित राजस्व अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>

दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक दिनांक द्वारा 132/33 KV./ .. विद्युत सब स्टेशन हेतु सतत लीज से सम्बन्धित..... रैयतों के जमीन का अंचल अधिकारी का सत्यापन प्रतिवेदन (जो सहमति पत्र में वर्णित है) प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि सहमति पत्र समर्पित करने वाले रैयतों की रैयती जमीन उनकी खतियानी/जमाबंदी कमांक आदि के अन्तर्गत की है जिसकी विवरणी अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः प्राप्त सहमति पत्र के आलोक में स्थानीय ग्राम पंचायत में तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रण सूचना प्रकाशित की जाय। इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति के लिए निदेशक, सूचना जनसंपर्क से अनुरोध किया जाय। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अंचल अधिकारी के कार्यालय में तथा विद्युत परियोजना कार्यालय में दिनांक तक शाम 5 बजे तक लिखित रूप से समर्पित करें। आपत्ति आमंत्रण सूचना को ग्राम पंचायत के भवन पर भी चिपका दिया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आपत्ति आमंत्रण के सूचना के प्रकाशन के उपरान्त किसी भी व्यक्ति या रैयत द्वारा कोई भी आपत्ति लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रेस विज्ञप्ति में अंकित कमांक से कमांक तक के सभी रैयतों को सूचित किया जाय कि वे अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिनांक तक सतत लीज पर प्रश्नगत् जमीन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित समर्पित सहमति पत्र में अंकित अपनी जमीन से सम्बन्धित राजस्व कागजातों यथा खतियान, जमाबंदी पंजी, विक्य पत्र, दान पत्र, बंदोवस्ती पट्टा, न्यायालय की डिकी तथा Execution आदेश के साथ, Voter I-Card, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, अद्यतन मालगुजारी रसीद की छाया प्रति समर्पित करें ताकि सम्बन्धित कागजातों की जाँच एवं सत्यापन अंचल अधिकारी द्वारा की जा सके।</p> <p>अंचल अधिकारी से अनुरोध किया जाय कि वे अपना जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा कर अभिलेखबद्ध रूप में भूमि सुधार उप-समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से सत्यापन एवं अनुशंसा के उपरान्त उपलब्ध करावें।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक दिनांक के द्वारा सतत लीज पर दस्तावेज निष्पादित करने वाले रैयतों श्री वगैरह का सत्यापन प्रतिवेदन सह अभिलेख प्राप्त हुआ है। भू-अर्जन अधिकारी सत्यापन प्रतिवेदन सह अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 132/33 KV के लिए एकड. जमीन बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के प्रावधानों के आलोक में भूधारी श्री से लेकर तक जो ग्राम के निवासी हैं की जमीन से सम्बन्धित राजस्व कागजातों खतियान/जमाबंदी/विक्य पत्र आदि की जाँच अंचल</p>

14
अधिकारी द्वारा अपने अंचल के भू-अभिलेखों के आधार पर की गई है तथा सही पाया गया है। भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी..... द्वारा सम्बन्धित कागजों का सत्यापन किया गया है।

सतत लीज अभिलेख संख्या...../2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी..... द्वारा राजस्व कागजातों के आधार पर रैयत द्वारा सहमति पत्र में दी गई जमीन का सत्यापन किया गया है तथा प्रकाशन सूची के क्रमांक

..... पर अंकित रैयत का नाम है। अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप- समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रैयत श्री के दावे को राजस्व कागजातों के आधार पर सही पाया गया है। अंचल अधिकारी /भूमि सुधार उप-समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सतत लीज विलेख निष्पादित करने वाले रैयत श्री पिता ग्राम ..
थाना नम्बर की जमीन खाता नम्बर खेसरा नम्बर रकबा किस्म चौहड़ी की जमीन खतियानी/ जमाबंदी की जमीन है। रैयत श्री द्वारा बैटवारा के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है जिसकी जमाबंदी संख्या सृजित है तथा मालगुजारी रसीद सं0 के द्वारा अद्यतन वर्ष तक मालगुजारी का भुगतान किया गया है।

रैयत श्री की खतियानी/ जमाबंदी नं0 की जमीन है जमाबंदी श्री के नाम है कायम है किन्तु जमाबंदी बंटवारा नहीं हो पाया है, शामिलात जमाबंदी चल रही है। उनके फरीकैन श्री के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तथा वे अपने हिस्से की जमीन खाता सं0 खेसरा रकबा चौहड़ी के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में हैं एवं मालगुजारी भुगतान कर रहे हैं या मारफती भुगतान कर रहे हैं।

प्रश्नगत जमीन विक्रय पत्र/दान पत्र/बंटवारा/भूदान/बंदोबस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसका नामान्तरण उनके नाम से किया गया है जिसके आधार पर जमाबंदी उनके नाम से सृजित है तथा जमीन उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है एवं मालगुजारी रसीद दिनांक के द्वारा वर्ष तक का लगान भुगतान किया गया है।

अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की मूल प्रति से भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन रैयत श्री पिता ग्राम के शांतिपूर्ण दखल कब्जे की काश्तकारी जमीन है। रैयत श्री द्वारा अपने दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित कागजातों यथा खतियान की छाया प्रति, जमाबंदी की छाया प्रति, वंशावली प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की मूल प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, निबंधित विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति मालगुजारी भुगतान के रसीद की मूल प्रति के साथ शपथ पत्र, दो फोटो, पैन कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति, निर्वाचक पहचान पत्र की छाया प्रति समर्पित की गई है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

तदुपरान्त उपरोक्त के आलोक में समाचार पत्र के क्रमांक के रैयत /भू-मालिक श्री पिता.... ग्राम मौजा..... अंचल जिला से सतत लीज पर ली जाने वाली भूमि ग्राम राजस्व थाना नम्बर खाता नं0..... खेसरा नं0...
..... रकबा चौहड़ी किस्म है को भुगतेय होने वाली राशि जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित MVR के

अनुसार रूपये प्रति डिसमल के दर से कुल रूपये मात्र भुगतान होता है। Bihar State Power Transmission Company Limited, पटना के पत्रांक दिनांक के द्वारा प्रश्नगत जमीन के निबंधित लीज विलेख के निष्पादित कराने हेतु मैं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता प्राधिकृत हूँ। रैयत/भू-मालिक को राशि भुगतान हेतु गणना तालिका के साथ उपस्थापित करें।

विद्युत कार्यपालक अभियंता

दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। राशि का व्यौरा गणना तालिका जो अभिलेख के साथ संलग्न है, के अनुसार निम्नवत है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> I. सतत लीज पर निष्पादित होने वाले भूमि का रकबा II. भूमि का किस्म..... III. कुल भुगतेय राशि यानि भूमि का मूल्य $\times 4$ = रूपये..... IV. निबंधक शुल्क V. आयकर vi. रैयत/भू-मालिक श्री पिता ग्राम अंचल को शुद्ध भुगतेय राशि होती है। <p>अतः कुल राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका व्यौरा निम्नवत है:-</p>
-------------	--

मौजा	थाना नं०	अंचल	जिला

समाचार पत्र में प्रकाशन क्रमांक	भू मालिक का नाम एवं पूर्ण पता	रकबा/एकड़ डिसमिल	भुगतेय राशि

अतः निबंधित लीज विलेख के निष्पादन हेतु अभिलेख को उपस्थापित करें।

विद्युत कार्यपालक अभियंता

दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा पत्रांक 1545 रा० दिनांक 22.01.2016 द्वारा प्रेषित सतत लीज मॉडल फार्मेट में भू-मालिक श्री पिता श्री ग्राम द्वारा राजस्व ग्राम थाना नं० के खाता नं० खेसरा नं० रकबा किस्म चौहदी जमीन का निबंधित लीज विलेख निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में आज दिनांक को Indemnity Bond के साथ Bihar State Power Transmission Company Limited, पटना को निष्पादित कर दिया गया है तथा कुल रूपये चेक संख्या दिनांक प्राप्त कर चेक</p>
-------------	--

	<p>द्वारा प्राप्त राशि का व्यौरा कार्यालय अभिलेख के सुसंगत भाग में तथा समेकित विपत्र संख्या...../वर्ष..... में हस्ताक्षरित कर दिया गया है।</p> <p>विषयांकित जमीन के निबंधित लीज विलेख की अभिप्राणित प्रति Bihar State Power Transmission Company Limited, पटना मुख्यालय के पास अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जाय।</p> <p>निबंधित लीज विलेख संख्या..... दिनांक..... की अभिप्राणित प्रति जिला पदाधिकारी...../जिला भू-अर्जन पदाधिकारीके पास भेजी जाय तथा अनुरोध किया जाय कि लीज विलेख के अन्तर्गत की विहित रकबे की जमीन का सीमांकन कराने, तदनुसार दखल कब्जा दिलाने हेतु अंचल अधिकारी .. के नाम निदेश निर्गत करने की कृपा करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। Bihar State Power Transmission Company Limited, Patna के नाम से निष्पादित पंजीकृत लीज विलेख की मौजा..... थाना नं0..... खाता नं0..... खेसरा नं0..... रकबा..... चौहड़ी की जमीन पर अंचल अधिकारी द्वारा दखल कब्जा दिला दिया गया है जिसका प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अतः प्रश्नगत जमीन के पंजीकृत लीज विलेख की सत्यापित प्रति को राजस्व विभाग के पत्रांक 14/डी० एल० ऐ० लीज नीति 60/2014/733 रा० दिनांक 16.06.2016 के कांडिका 4(1) के आलोक में जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के पास भेजी जाय तथा उनसे अनुरोध किया जाय कि लगान न्यूनीकरण आदेश देने तथा पंजी II में आवश्यक संशोधन सम्बन्धि आदेश करने एवं पंजीकृत लगान भुगतान का आदेश देने आदि की कृपा करें जिसका अनुपालन किया जा सके।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	<p>पत्रांक 733 दिनांक 16.06. 2016 का निदेश कांडिका 3, कांडिका 4(1),(2)</p>
दिनांक.....	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता ... के पत्रांक दिनांकद्वारा लगान न्यूनीकरण तथा पंजी -II के सुसंगत भाग में संशोधित करने का आदेश अंचल अधिकारी के अनुपालनार्थ निर्गत हुआ है साथ ही प्रश्नगत निबंधित लीज विलेख द्वारा Bihar State Power Transmission Company Limited, पटना के नाम सतत लीज की भूमि जिसका व्यौरा अभिलेख के साथ संलग्न है, के भूमि का वार्षिक लगान यानि वार्षिक लगान का 25 गुणा लगान पंजीकृत मूल्य के रूप में जमा किया जाना है। अतः कुल राशि रूपये राजस्व विभाग के शीर्ष 2029 में चालान के माध्यम से जमा जाय तथा चालान की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत कार्यपालक अभियंता</p>	

दिनांक.....

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा
जिला पदाधिकारी/उप-समाहर्ता के आदेश दिनांक
के आलोक में मौजा राजस्व ग्राम के पंजी II के
सुसंगत जमाबंदी संख्या में न्यूनीकरण/विलोपन की
कार्रवाई कर दी गई है जिसका शुद्धि पत्र तथा आदेश की सत्यापित
प्रति अभिलेख में संलग्न कर दिया गया है। Bihar State Power
Transmission Company Limited, पटना के नाम से निष्पादित लीज
विलेख के अन्तर्गत कुल जमीन का वार्षिक लगान पंजीकृत मूल्य के
रूप में चालान संख्या दिनांक के द्वारा कोषागार
..... में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति अभिलेख में
संलग्न है।

अतः Bihar State Power Transmission Company Limited,
पटना के नाम कुल सतत लीज की भूमि की प्रविष्टि सम्पदा पंजी में करें
तथा उसकी विवरणी मुख्य कार्यालय के पास भेजें।

विद्युत कार्यपालक अभियंता
.....